न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 43/2020
जी.सी.एम.एस. नं.: 2020/00077

1. हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 6 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. अमृतरानी पुत्री मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 6 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. किरणबाला पुत्री मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 6 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र रामकिशन जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 6 श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

3. राजरानी पुत्री मोहनलाल पत्नी शंकरलाल जाति अरोडा निवासी मातारानी वाली गली मैनाचौक बटिण्डा पंजाब
4. उषारानी पुत्री मोहनलाल पत्नी हरीनारायण जाति अरोडा निवासी शालीमार बाग पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर राज.
5. शंकुन्तला पुत्री मोहनलाल पत्नी हरीचन्द जाति अरोडा निवासी टावर के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राज.

तरतीबी पक्षकारान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री नवीन मिडढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1**
3. **राजपैरोकार**
4. **अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 3 से 5**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं. 1 तथा तरतीबी पक्षकारान सं. 3 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 33जीबी तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 63 प.न. 181/4[illegible] का कि.न. 1ता 15 का 3.795है0 नहरी मय खाला बाग भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी [illegible]4–2077 का खाता सं. 189 में है। [illegible]र्णित रकबा में प्रार्थी हरबंशलाल [illegible] नाम [illegible] 0.079है. प्रार्थी किरणबाला के नाम से 0.079है. प्रार्थीया अमृत[illegible] 0.079 है. भूमि दर्ज है एंव [illegible] 0.079है. भूमि दर्ज है एंव शेष तरतीबी पक्षकारान सं. 3 ता 5 [illegible] के नाम से दर्ज है। इस [illegible] 1107/1265 है. भूमि अप्रार्थी सं. 1 नन्दला[illegible] हिस्सेदारान है। उपरोक्त प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार/हिस्सेदारान है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि को काश्त करने में व उक्त भूमि की फसल को लाने ले जाने व अन्य कृषि कार्यों को करने तथा लगान आदि अदा करने सहीत अन्य राजस्व कार्यों को

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने में पानी बारी लगाने आदि भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त संयुक्त खाता में दर्ज भूमि का विधिक विभाजन दर्ज हिस्सा अनुसार भूमि किस्म को ध्यान में रखते हुए अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए करने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अप्रार्थी व तरतीबी पक्षकारान से सम्पर्क कर निवेदन समय समय पर करता रहा है जिस पर तरतीबी पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रदान की किन्तु अप्रार्थी सं. 1 बंटवारा को लेकर टाल मटौल करता रहा है व कहता रहा कि जब कभी राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो एकत्र होकर अप्रार्थी सं. 2 के समक्ष ब्यान देकर खाता को पृथ्क पृथ्क करवा लेगे एंव संयुक्त भूमि का रास्ता खाला आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए पटवारी हल्काको मौका पर साथ लेकर विधिक विभाजन करवा लेगे व इसी अनुसार दर्ज भी करवा लेगे अपना रिश्तेदारी का मामला है घवराने की कोई बात नहीं है चूकि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का रिश्तेदार (चाचा) है इसलिए प्रार्थीगण ने सद्भावी रूप से अप्रार्थी सं. 1 के कथनो पर विश्वास कर लिया एंव समय व्यतित होता रहा है। किन्तु काफी समय व्यतित हो जाने पर भी इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करने पर जब प्रार्थीगण ने आज से एक सप्ताह पूर्व पुनः अप्रार्थी से सम्पर्क कर इस बाबत दबाव देकर विधिक विभाजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत कहा तो अप्रार्थी उक्त बात से नाराज हो गया व ऐलानिया धमकी दी कि वह कोई विधिक विभाजन नहीं करेगा एंव अच्छी भूमि पर स्वंय जबरन बलपूर्वक काबिज हो जावेगा साथ ही धमकी दी कि उक्त भूमि में प्रवेश हेतु उक्त भूमि चक 30 जीबी का मु. न.13 में जो खडवंजा रास्ता है जो कि उक्त वादग्रस्त भूमि चक 33जीबी का मु.न. 63 के कि.न. 5 के साथ चिपता हुआ है से उक्त भूमि में प्रार्थीगण के प्रवेश को भी वाधित जबरन कर देगा एंव कि.न. 5 की भूमि पर जबरन स्वंय काबिज होकर उक्त रास्ता को बंद कर देगा जो कि उक्त भूमि में प्रवेश करने का एक मात्र रास्ता है जहां से प्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रवेश कर अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करते है इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त भूमि में प्रवेश से ही वंचित कर उक्त प्रार्थीगण के नाम से दर्ज हिस्सा को काश्त करने से महरूम कर उक्त भूमि में हिस्सा से बेदखल जबरन कर देगा बस यही तारीख विनाए मुखासमत वाद कारण है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा संयुक्त खाता में दर्ज भूमि का खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए विधिक विभाजन से इन्कार कर दिया है एंव उक्त भूमि में सुधरी हुई भूमि पर विशिष्ट किलाजात पर जबरन काबिज होकर व कि.न. 5 पर स्वंय जबरन काबिज होकर उक्त भूमि में प्रार्थीगण के प्रवेश से ही वंचित कर प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक वा हिस्सा की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन करने की धमकी दी है यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त विधि विपरीत कृत्यो में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करने में असमर्थ हो जावेगे एंव भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व काश्त आदि में भारी असुविधा होगी तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा जबकि प्रार्थीगण उक्त भूमि में सहखातेदार है एंव संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक ईंच में प्रार्थीगण का अधिकार निहित है व प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में निर्बाध आवागमन एंव [illegible] करने के विधिक अधिकारी है। किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण को हमारे अधिकारो से [illegible] भूमि काश्त से महरूम एंव बेदखल जबरन करना चाहता है [illegible] से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमाबाजी बढेगी, [illegible] काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी प्रार्थीगण के पास आय का एक [illegible] साधन उक्त भूमि ही है जो काश्त नहीं होने से आय का कोई साधन नहीं [illegible] जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एंव काश्त में असुविधा भी प्रार्थीगण को ही होगी जबकि अप्रार्थी को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीगण को काश्त में बाधा हो से पाबन्द किया जाने पर उसके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। राजस्थान सरकार भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि 33जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 63 प.न. 181/421 का कि.न. 1 ता 15 का 3.795है. भूमि में किसी विशिष्ट किलाजात पर काबिज होकर ऐसा कोई कार्य करने जिससे प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त हिस्सा की भूमि को काश्त करने व इसमें काश्त हेतु निर्वाध आवागमन एंव कृषि यंत्र लाने ले जाने में परेशानी हो ऐसा कोई कार्य करने से व कि.न. 5 जो कि उक्त भूमि को चक 30 जीबी का मु.न. 13 के खडवंजा से जोडता है में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर उक्त भूमि में प्रवेश को किसी प्रकार स्वंय या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से बाधित या बंद करने से बाज एंव ममनू रहे व वादग्रस्त भूमि या उसके किसी भाग को अन्य को रहन, विकय आदि करके अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई ऐसा कार्य करने से बाज रहे जिससे प्रार्थीगण को काश्त करने में परेशानी हो बाज एंव ममनू रहे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 3 से 5 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तरतीबी पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र का आधार भिन्न होने से वाद पत्र को इस प्रार्थना पत्र का भाग पढ़ा व समझा नही जा सकता है। राजस्व अभिलेखानुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रत्येक के नाम .079–.079 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है शेष इस खाते की कृषि भूमि 1107/1265 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के मुश्तरका खाते में सहखातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण ने स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नहीं किया बल्कि तथ्यो को छुपाकर नया वाद प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के पिता ने उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनुवानी वाद मोहनलाल बनाम भागवन्ती वगैरा, वाद संख्या 65/10 प्रस्तुत किया था जो कि मोहनलाल प्रार्थी ने नया वाद प्रस्तुत की अनुमति के साथ दिनांक 25.06.2010 को विड्रा कर लिया था जिसके पश्चात् प्रार्थी ने कोई नया वाद प्रस्तुत नहीं किया। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. मोहनलाल तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रश्नगत कृषि भूमि को सहमति से भौतिक रूप से अपने–अपने हिस्सानुसार 32–35 वर्ष पूर्व विभाजित कर ली थी जिसके अनुसार पूर्व में मोहनलाल के पास मुरब्बा नं. 63 के किला नं. 12 में .032 हैक्टर, किला नं. 13 सालम तथा किला नं. 14 की .189 हैक्टर कृषि भूमि कब्जा काश्त में थी जिसे सहमति से इसी मुरब्बा के किला नं. 6 व 15 में .424 हैक्टर अर्थात 1.16 बीघा का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस [illegible] एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सा पर पिछले 32–35 वर्षो से शान्तिपूर्वक क[illegible] चले आ रहे है। यहां यह भी गौर तल्लब है कि पूर्व में प्रार्थी[illegible] प्रश्नगत कृषि भूमि के किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृति हेतु श्रीमानजी [illegible] पत्र बअनुवानी हरबंशलाल बनाम नन्दलाल वगैरा, प्रकरण संख्या 62/10 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 20.04.2007 को स्वीकृत फरमाया था [illegible]की अपील होने पर श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपील को स्वीकार करके पुनः निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जो बाद दिनांक 14.05.2010 को रास्ता प्रकरण खारिज फरमा दिया जो अन्तिम हो चुका है। प्रार्थीगण का केवल मात्र हिस्सा 0227 हैक्टर अर्थात 18 बिस्वा हेतु वैकल्पिक अन्य कई मार्ग स्थित है जिसका उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एवं उपभोग वादीगण कर रहे है। इस प्रकार मुरब्बा नं. 63 के किला नं. 5 में रास्ता ना कभी था, ना कभी चला ना ही कभी अस्तित्व में रहा था महज वाद पत्र को बल देने हेतु अंकित किया है। प्रार्थीगण कभी भी एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी से नही मिला था इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 का किला नं. 5 में पूर्व से ही कब्जा काश्त है जिसमें अप्रार्थी ने नलकूप स्थापित कर मौके पर रिहायश हेतु ढाणी बना रखी है। इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन कि किला नं. 5 पर स्वंयम जबरन काबिज होकर प्रवेश से वंचित कर देगा कतई गलत है। अप्रार्थी ने कभी भी बेदखली की कोई धमकी नही दी बल्कि प्रार्थीगण तथा पूर्व में प्रार्थीगण के पिता ने अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में उलझा रखा है जिससे अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि की उचित देखभाल नही कर पा रहा है जिससे उचित फसल प्राप्त नही कर पा रहा है जिससे अप्रार्थी को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। अधिवक्ता अप्रार्थी न्यायिक दृष्टांत 1996(3)आरबीजे पृष्ठ सं. 504 की छायाप्रति प्रस्तुत की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 3 से 5 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज होना अंकित किया है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि का खाता विभाजन का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 3 से 5 के नाम से संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में विचाराधीन वाद पत्र प्रार्थीगण के पिता द्वारा विड्रा कर लिया गया था तथा रास्ता प्रकरण का भी निर्णय अन्तिम हो चुका है। विवादित भूमि का पहले से ही बंटवारा किया हुआ है जिस अनुसार अप्रार्थी काबिज है, प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। मोहनलाल के द्वारा वाद पत्र सं. 65/2010 अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए विड्रा किया गया था साथ ही वर्तमान में भूमि मोहनलाल के वारिसान के नाम से रिकार्ड दर्ज है। रास्ता प्रकरण एक पृथक प्रक्रिया है जबकि हस्तगत प्रकरण में मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में विनिश्चिय पारित किया जाना है। ऐसे में उक्त प्रकरणों का हस्तगत प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार टिनेन्ट है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा स्वयं भी भूमि का बंटवारा होने व उसी अनुसार कब्जा होने का कथन किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं. 1 स्वयं के साथ साथ [illegible] के विवादित भूमि पर कब्जा को स्वीकार करता है। संयुक्त खाता की भूमि का वि[illegible] पूर्व प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का स[illegible] भी [illegible] में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष है। यदि भूमि अप्रार्थी द्वारा [illegible] अथवा अन्तरण कर दी जाती है तो वाद विवाद बढ़ने तथा तृ[illegible] पक्ष के सृजन की संभावना है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना स[illegible]वित है। इस प्रकार निषेधाज्ञा के तीनों कारक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। साथ ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मूल वाद में प्रतिवाद पत्र पेश किया गया है तथा विशिष्ट किलाजात पर स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता

...पखण्ड अधिकारी
श्री विजयजकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विभाजन चाहा है। अप्रार्थी भी विवादित भूमि का सह खातेदार है ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने से पाबंध किया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता कि वे मूल वाद के निर्णय तक संयुक्त खाता की विवादित भूमि 33जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 63 प.न. 181/421 का कि.न. 1 ता 15 का 3.795है. नहरी मय खाला बाग भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner